न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर,

उपस्थित–अजय कुमार श्रीवास्तव–III (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPSD010019342026

Bail Application/791/2026

राहुल कुमार पुत्र सुरेश कुमार, निवासी ग्राम–कुड़िया, थाना–उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर

----प्रार्थी/अभियुक्त,

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश ----विपक्षी/आपत्तिकर्ता।

मुकदमा अपराध संख्या-----07/2026

धारा---------152 रेलवे एक्ट 1989

थाना------जी०आर०पी० आनन्द नगर

जी०आर०पी० अनुभाग-------गोरखपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

1– प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार द्वारा मु०अ०सं०–07/2026, अन्तर्गत धारा–152 रेलवे एक्ट 1989,थाना–जी०आर०पी० आनन्द नगर, जी०आर०पी० अनुभाग–गोरखपुर में जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में जेल में निरूद्ध है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा संतोष कुमार यादव लोकोपायलट द्वारा दिनांक 01.06.2026 को समय 00.35 बजे थाना–जी० आर० पी० आनन्द नगर पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि km 67/01 पर एक लड़के द्वारा पत्थर चलाया (सेक्शन UB–SDDN) गया DPC का Lookout Glass Side से टूट गया तथा शीशा कैब में बिखर गया है इसमें लोकोपायलट एवं सहायक लोकोपायलट बाल बाल बचे हैं। अतः उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना जी० आर० पी० आनन्द नगर में मु०अ०सं०–07/2026, अन्तर्गत धारा–152 रेलवे एक्ट 1989 के अन्तर्गत अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मुखबिर खास की सूचना के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष एवं बेकसूर है। प्रार्थी /अभियुक्त ने कोई जुर्म कारित नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त रेलवे लाइन के बगल में स्थित आम के बाग की रखवाली लिया है जिस पर पक्षियों के द्वारा आम की फसल को काफी नुकसान किया जा रहा है, पक्षियों को आम की डाली से उड़ाने के लिए एवं पेड़ से भगाने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा खाली हाथ ताली पीट–पीटकर पक्षियों को आम की डाली से उड़ाया जाता है, उसी समय गुजर रही ट्रेन गाड़ी संख्या 75160 के ड्राइवर काल्पनिक ढंग से यह आभास कर लिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने रेल इंजन पर पत्थर फेंका है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त ने रेल इंजन पर कोई पत्थर नही फेंका है। गाड़ी सं0–

Digitally signed by AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.17 17:09:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

75160 के ड्राइवर के द्वारा फर्जी ढंग से GRP आनन्दनगर में जाकर मु०अ०सं०–07/2026 दर्ज कराया गया, जो कि निराधार और फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का नाम फर्जी ढंग से गांव के चन्द दुश्मनानों के कहने पर प्रकाश में ला करके अभियुक्त बना दिया गया है, जो निराधार एवं असत्य है।प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर दिनांक–03.06.2026 खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पत्थर फेंकने के आरोप का कोई सुसंगत साक्ष्य मौजूद नही है, बिना ठोस साक्ष्य के गिरफ्तारी किया जाना न्यायसंगत नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरारी का कोई भय नही है और प्रार्थी/अभियुक्त युवा व्यक्ति है और जेल में काफी दिनों तक अपराधियों की संगत में रहने से भविष्य खराब हो जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.06.2026 से जेल में है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा ऐसी कोई मंशा से पत्थर नहीं चलाया गया था, जिससे कि रेलगाड़ी के स्टाफ अथवा उस पर विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा को संकटापन्न हो सके। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा–152 रेलवे एक्ट 1989 का अपराध लगाया गया है तथा अभियुक्त द्वारा गाड़ी सं0–75107 के लोकोपायलट संतोष कुमार यादव को निशाना बनाकर रेल के इंजन पर पत्थर मारा गया, जिससे DPC का Lookout Glass Side से टूट गया तथा शीशा कैब में बिबर गया और लोकोपायलट एवं सहायक लोकोपायलट बाल बाल बचे। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डनीय होना बताया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है । अतः अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– मेरे द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित केसडायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने की आख्या व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6– प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा गाड़ी सं0–75107 के लोकोपायलट संतोष कुमार यादव को निशाना बनाकर रेल के इंजन पर पत्थर मारा गया, जिससे DPC का Lookout Glass Side से टूट गया तथा सीसा कैब में बिबर गया और लोकोपायलट एवं सहायक लोकोपायलट बाल बाल बचे। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त नवयुवक है तथा अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का प्रस्तुत मामले के अलावा अन्य कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। विवेचना अभी प्रचलित है।

8– न्यायालय की राय में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण–दोष पर पर कोई विचार व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–07/2026, अन्तर्गत धारा–152 रेलवे एक्ट 1989, थाना–जी०आर०पी० आनन्द नगर, जी०आर०पी० अनुभाग–गोरखपुर सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–791 /2026 अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या– 07/2026, अन्तर्गत धारा–152 रेलवे एक्ट 1989, थाना–जी०आर०पी०

आनन्द नगर, जी०आर०पी० अनुभाग–गोरखपुर सशर्त स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु०–75,000 (पचहत्तर हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, जमानतदारों व उनके सम्पत्ति का सत्यापन कराये जाने के बाद निम्नांकित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय–

1– प्रार्थी/अभियुक्त सद्व्यवहार बनाये रखेगा तथा इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा न ही अभियोजन साक्षियों को धमकी देगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण के दौरान विचारण न्यायालय में प्रत्येक नियत पेशी पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के उपस्थित होने पर जिरह हेतु अनावश्यक स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा और विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

5– प्रार्थी/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति देश से बाहर नहीं जायेगा।

6– उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन जमानत निरस्त का आधार माना जाएगा।

दिनांक–17.06.2026

(अजय कुमार श्रीवास्तव–III)
सत्र न्यायाधीश,
सिद्धार्थनगर।
Id No:U P 2021